

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मेरठ।


नीलामी सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा सिविल कोर्ट, मेरठ परिसर में स्थित परिवार न्यायालय भवन को तोड़ने एवं तोड़ने के उपरान्त समस्त मलवा/स्क्रेप, हटवा कर ले जाने हेतु नीलामी की खुली बोली की प्रक्रिया दिनांक 29.03.2025 की अपराहन 04:00 बजे चौदह न्यायालय भवन के प्रथम तल पर स्थित मीटिंग हाल में सम्पन्न होगी। उक्त बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों को अंकन 4,00,000-00 रु0 का बैंक ड्राफ्ट जो जनपद न्यायाधीश, मेरठ के नाम में देय हो, को कैशियर, सिविल कोर्ट, मेरठ के पास धरोहर राशि के रूप में पूर्वाहन 11:00 बजे तक जमा करने आवश्यक होंगे। बोली को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार माननीय जिला न्यायाधीश महोदय को होगा। उक्त भवन का मलवा स्वीकृत बोली के अनुमोदन की सूचना प्राप्त होने पर जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा नियत की जानी वाली अवधि में तोड़कर ले जाना होगा और स्थान को साफ कराना होगा। उक्त भवन का निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस में नीलामी से पूर्व किया जा सकता है। नीलामी की शर्तें किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, मेरठ में देखी जा सकती है।




(चन्द्र शेखर मिश्रा)

सदस्य/, विशेष न्यायाधीश,
(ईसी0एक्ट0),
मेरठ।



(ब्रजेश मणि त्रिपाठी)

सदस्य/ अपर जिला जज
कक्ष सं0 - 09,
मेरठ।



(अचल नारायण सकलानी)

अध्यक्ष, अपर जिला जज,
कोर्ट सं0-01,
मेरठ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर प्रचार प्रसार हेतु चस्पा करने हेतु :


- 1- कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ।
- 2- अपर मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, मेरठ।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, गंग नहर, मेरठ।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, मेरठ।
- 6- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मेरठ।
- 7- जिला जज, मेरठ कार्यालय नोटिस बोर्ड।
- 8- नजारत, जनपद न्यायालय, मेरठ का नोटिस बोर्ड।
- 9- कम्प्यूटर विभाग को इस जनपद व माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाईड पर अपलोड हेतु।
- 10- स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।


नीलामी की शर्तें


दिनांक: 29.03.2025 को जनपद न्यायालय मेरठ में स्थित परिवार न्यायालय भवन को तोड़ने व तोड़ने के उपरान्त उसका समस्त मलवा/स्क्रेप हटवाकर ले जाने हेतु नियम खुली बोली में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों द्वारा निम्न शर्तों का पूर्णतया पालन करना होगा।


1. उक्त बोली खुली बोली पद्धति के अनुसार होगी अर्थात् जिस व्यक्ति की अधिकतम बोली होगी उसके पक्ष में बोली छोड़ी जायेगी।
2. बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा धरोहर धनराशि अंकन 4,00,000-00 रु० का बैंक ड्रॉफ्ट जोकि जनपद न्यायाधीश मेरठ के नाम में देय हो को धरोहर के रूप में कैशियर, सिविल कोर्ट, मेरठ के पास बोली से पूर्व समय दिन 11:00 बजे तक जमा कराना होगा।
3. बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों को यह अधिकार होगा कि सम्बन्धित भवन का निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस में उनके द्वारा किया जा सकता है।
4. बोली जहां है, जैसा है के आधार पर होगी अर्थात् बोली में पुराने भवनों का मलवा गेट इत्यादि ही सम्मिलित होंगे।
5. नीलामी जिस व्यक्ति के पक्ष में छोड़ी जायेगी उसे धरोहर राशि को छोड़कर बोली की 25 प्रतिशत धनराशि का भुगतान बोली के पश्चात् यानि दिनांक 29.03.2025 को ही जमा कराना होगा तथा बकाया समस्त धनराशि स्वीकृत बोली के अनुमोदन के उपरान्त सूचना प्राप्त होने की तिथि से अन्दर 03 दिवस जमा करानी होगी।
6. यदि सफल बोलीकर्ता उपरोक्त विहित अवधि के भीतर बकाया धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो उसके पक्ष में किया गया नीलाम निरस्त कर दिया जायेगा और उसके द्वारा निक्षेपित अग्रिम धनराशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।
7. बोली में भाग लेने वाले बोलीदाता पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड/विश्वसनीय विधिक पहचान पत्र की छायाप्रति भी दाखिल करनी होगी।
8. प्रथम तीन बोलीदाताओं की धरोहर धनराशि को छोड़कर अन्य की धरोहर धनराशि उसी दिन बोली समाप्त करने के पश्चात् वापस कर दी जायेगी।
9. उक्त भवन का मलवा स्वीकृत बोली के अनुमोदन की सूचना प्राप्त होने पर जिला न्यायाधीश द्वारा नियत की जाने अवधि में तोड़कर ले जाना होगा और स्थान को साफ कराना होगा। इसमें कुछ समय भी लग सकता है।
10. भवन की तोड़ाई केवल जमीन तक अर्थात् भवन में नींव को छोड़कर करनी होगी।
11. उक्त भवन में शिलापट, बिजली के उपकरण, पंखे, कम्प्यूटर उपकरण, फर्नीचर, रैक (लोहे एवं लकड़ी के), डॉयस, इत्यादि लगे हुए हैं को सिविल कोर्ट मेरठ को क्रेता को अपने व्यय पर निकलवा कर देना होगा।
12. उक्त भवन की अधिकतम बोली मूल्य पर जो भी जी०एस०टी० का मूल्यांकन होगा उसका अदा करने का दायित्व क्रेता का होगा।
13. भवन को तोड़ने के दौरान बोली छुड़ाने वाले व्यक्ति को यह भी ध्यान रखना होगा कि इस दौरान किसी अन्य सम्पत्ति को नुकसान न पहुंचे। यदि किसी अन्य सम्पत्ति को कोई क्षति पहुंचती है तो उसकी भरपाई बोली छुड़ाने वाले व्यक्ति को करनी होगी।
14. उक्त भवन को तोड़ने एवं उसके मलवे को ले जाने पर जो भी व्यय होगा उसे बोली छुड़ाने वाले व्यक्ति को स्वयं वहन करना होगा। बोली छुड़ाने वाले व्यक्ति को मलवा ले जाने चुंगी व टैक्स और अन्य कोई टैक्स यदि देय हो तो उसे स्वयं वहन करना होगा।
15. जिस व्यक्ति के पक्ष में बोली छुटेगी उसका केवल प्रश्नगत भवनों के मलवे को तोड़ने व ले जाने का अधिकार होगा।
16. बोली में भाग लेने वाले प्रत्येक बोलीदाता/फर्म का रजिस्ट्रेशन जी०एस०टी० अनुभाग में होना अनिवार्य है।
17. अधिकतम बोली की स्वीकृति माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन के अधीन होगी तथा जिसे किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।
18. बोलीदाता को अपने आधार कार्ड, पैनकार्ड तथा तीन साल की आयकर रिटर्न की स्वयं प्रमाणित प्रतियां दाखिल करनी होगी।
19. बोलीदाता को इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उसकी फर्म ब्लैक लिस्टिड नहीं है तथा उसपर कोई सरकारी बकाया देय नहीं है।

शर्तों की प्रति ससम्मान माननीय महोदय के समक्ष अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित की जा रही है।


(चन्द्र शेखर मिश्रा)
सदस्य/, विशेष न्यायाधीश,
(ईसी०एक्ट०),
मेरठ।


(ब्रजेश मणि त्रिपाठी)
सदस्य/ अपर जिला जज
कक्ष सं० - 09,
मेरठ।


(अचल नारायण सकलानी)
अध्यक्ष, अपर जिला जज,
कोर्ट सं०-01,
मेरठ।


सदस्य/
मेरठ।